

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 05/2022 – रेफरेन्स

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार, माण्डल

बनाम

1. भंवरलाल पिता हीरालाल जाट निवासी  
बागोर तहसील माण्डल

—प्रार्थी

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 रा.भू.रा. अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. परोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.11.2025

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर.  
/एच. सी./4916/2020/भीलवाडा सरकार बनाम भंवरलाल निर्णय दिनांक 21.04.2022 में  
अंकन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट करे कि उक्त आवंटन को किस नियम के  
तहत बाधित होना प्रमाणित होता है तथा किस नियम के तहत उक्त आवंटन को निरस्त किया  
जाना उचित होगा। प्रकरण को समस्त राजस्व रिकार्ड से परीक्षण करावे तदनुसार अलोटमेंट  
ऑफ लैण्ड फोर डिगिंग ऑफ वेल एण्ड इन्टालिंग ऑफ पम्पिंग सेट फोर इरीगेशन रूल 1979  
में अंकित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये विधि सम्मत निर्णय लेवें।

तहसीलदार माण्डल से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार –

1. ग्राम बागोर तहसील माण्डल के आराजी नंबर 7414/3639 रकबा 0.0126 हैक्ट.  
भूमि जमाबंदी संवत् 2075 से 78 में गो.मु. कुंआ दर्ज रिकार्ड था।
2. ग्राम बागोर तहसील माण्डल के आराजी नंबर 3639 रकबा 641 बीघा भूमि जमाबंदी  
संवत् 2073 से 92 में गो.मु. नदी दर्ज रिकार्ड थी।
3. संवत् 2024 (वर्ष 1967) सेटलमेण्ट के दौरान आराजी नंबर 2355 किस्म नदी के  
नये नम्बर 3639 रकबा 641 बीघा किस्म गो.मु. नदी दर्ज किया गया।
4. संवत् 2009 से 2012 (वर्ष 1952 से 55) आराजी नंबर 2355 रकबा 714.02 बीघा  
किस्म गो.मु. नदी दर्ज रिकार्ड थी।
5. संवत् 1984 (वर्ष 1927) आराजी नंबर 2355 रकबा 714.02 बीघा किस्म गो.मु. नदी  
दर्ज रिकार्ड थी।
6. ग्राम बागोर तहसील माण्डल के आराजी नंबर 3639 रकबा 0.01 बीघा भूमि

*Dr*  
21/11/25  
अति. जिला कलक्टर  
भीलवाडा

जमाबन्दी संवत् 2043 से 2046 के खाता सं. 02 अनुसार उक्त आराजी की किस्म नदी दर्ज थी।

7. वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 के खाता सं० 1400 अनुसार विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड हैं। उपरोक्त आराजी भूमि की किस्म पूर्व में गै०मु०नदी दर्ज थी, जो विपक्षी को दिनांक 20.06.1989 को चाह नियमन की गई।
8. उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण सं० 161/1989 से विपक्षी द्वारा ग्राम बागोर तहसील माण्डल की आ०नं० 3639 में रकबा 0.01 बीघा भूमि पर खोदे गये कुएं को सशर्त नियमित किया गया हैं। आदेश में भूमि की किस्म गै०मु०नदी अंकित हैं।
9. आदेश की पालना में खोले गये नामान्तरकरण सं० 861 में आराजी नं० 3639 की किस्म नदी दर्ज हैं।
10. उक्त नामान्तरकरण में आ०नं० 7414/3639 रकबा 0.01 बीघा को विपक्षी के नाम आ०चा० दर्ज किया गया, जो दिनांक 20.06.1989 को स्वीकृत हुआ हैं।
11. राजस्व अभिलेख में जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 में प्रश्नगत आराजी नंबर 7414/3639 रकबा 0.01 बीघा भूमि विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक के रूप में अभिलिखित है।
12. जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 में प्रश्नगत आराजी के मूल आराजी नं० 3639 की किस्म गै०मु०नदी दर्ज हैं, इससे यह तथ्य तो सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू-भाग गै०मु०नदी अंकित थी।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.

आर./एच. सी./4916/2020/भीलवाड़ा सरकार बनाम भंवरलाल निर्णय दिनांक 21.04.2022 रेफरेन्स प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 27.07.2022 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी एवं विपक्षी अधिवक्ता निरंतर अनुपस्थित रहे हैं। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत नियमित की गई भूमि की किस्म प्रतिबंधित श्रेणी की होने से नियमन नियमों के विरुद्ध होकर निरस्त योग्य है एवं भूमि की किस्म को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाना आवश्यक हैं। उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू-भाग किस्म नदी दर्ज रिकार्ड थी।



बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का आद्योपान्त परीक्षण किया गया, जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम बागौर तहसील माण्डल के आराजी नंबर 3639 रकबा 714.02 बीघा किस्म गे.मु. नदी संवत् 1984, 2009 से 2012, 2043 से 2046 की जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड थी, जिसे उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण संख्या 161/89 से प्रार्थी भंवरलाल पिता हीरालाल जाट को फोर्म सी नियम 10 के तहत ग्राम बागौर तहसील माण्डल में आराजी नं. 3639 क्षेत्रफल 01 बिस्वा मे कुएं का नियमन दिनांक 20.06.89 को किया गया, जो प्रारम्भ से ही शून्य है।

प्रार्थी तहसीलदार माण्डल ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशों के अनुरूप संवत् 1984, 2009 से 2012, 2043 से 2046 की जमाबन्दी प्रस्तुत की हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत नियमित की गई भूमि की किस्म प्रतिबंधित श्रेणी की होने से नियमन नियमों के विरुद्ध होकर निरस्त योग्य है एवं भूमि की किस्म को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाना आवश्यक हैं। उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू-भाग किस्म नदी दर्ज रिकार्ड थी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जनहित याचिका 1536/03 एवं रिट पीटीशन सं० 11153/2011 में पारित निर्णय के अनुसरण में प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतःएव—

## आदेश

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम बागौर तहसील माण्डल के आराजी नंबर 3639 रकबा 714.02 बीघा किस्म नदी संवत् 1984, 2009 से 2012, 2043 से 2046 की जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड थी जिसमें नियमन से विपक्षीगण का नाम हटाया जाकर पुनः नदी अंकित कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.11.25  
(रणजीत सिंह)  
अति. जिला कलेक्टर  
भीलवाडा